



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239304
CG-DL-E-03102022-239304

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675]
No. 675]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 2022/आश्विन 11, 1944
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 2022/ASVINA 11, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 758 (अ).—रिट याचिका सं 16436/2011 में माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद के दिनांक 29.10.2021 के आदेश के अनुपालन में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी दिनांक 18 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना सा. का. नि.863(अ) [फा.सं.11031/06/2008-अ.भा.से.-II (ख)] में आंशिक आशोधन करते हुए, केंद्र सरकार पूर्व में मूल रूप से अधिसूचित की गई सूची की तुलना में चयन सूची वर्ष में निम्नलिखित अधिकारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नति के मामले पर विचार करने हेतु संबंधित उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. श्री जी.एस.आर.के.आर. विजय कुमार, पुत्र श्री जी. कृष्णैया
2. श्री जी. किशन, पुत्र साथैया
3. श्री के.एस. श्रीनिवास राजू, पुत्र के. गोपालराजू
4. श्री के.आर.बी.एच.एन. चक्रवर्ती, पुत्र के. ए. नरसिम्हा राव
5. श्री एम. गिरिजा शंकर, पुत्र एम.वी.एस. मूर्ति

6. श्री जी. रवि बाबू, पुत्र जी. एजरा
7. श्री चौधरी विजय मोहन, पुत्र चौधरी नरसिम्हा राव

पैरा 1 (2) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"ये दिनांक 22.07.2002 से प्रवृत्त होंगे।"

उपर्युक्त एसएलपी (सी) सं. 2022 का 11168 में दिनांक 18.07.2022 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका के परिणाम के अध्यक्षीन है।

[फा. सं. 11031/06/2008-अ.भा.से.-II (ख)]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

G.S.R. 758 (E).—In compliance with the order dated 29.10.2021 of the Hon'ble High Court for the State of Telangana at Hyderabad in WP No. 16436/2011, the Central Government, in partial modification of the Notification G.S.R. 863(E) dated 18th December, 2008 [File No. 11031/06/2008-AIS-II(B)] issued by the Ministry of Personnel, P.G. & Pensions (Department of Personnel & Training), makes the following amendment in so far as the said notification relates to consideration of the case of the following officers for promotion in to Indian Administrative Service (IAS) against an earlier select list year than as originally notified:

1. Mr. G.S.R.K.R. Vijay Kumar, S/o G. Krishnaiah
2. Mr. G. Kishan, S/o Sathaiah
3. Mr. K.S. Sreenivas Raju, S/o K. Gopal Raju
4. Mr. K.R.B.H.N. Chakravarthy, S/o K. A. Narsimha Rao
5. Mr. M. Girija Shankar, S/o M.V.S. Murthy
6. Mr. G. Ravi Babu, S/o G.Ezra
7. Mr. Ch. Vijay Mohan, S/o Ch. Narsimha Rao

In Para 1 (2), the following shall be substituted:

"They shall come into force w.e.f. 22.07.2002."

The above is subject to the outcome of the Review Petition filed in the Hon'ble Supreme Court against the Order dated 18.07.2022 in SLP (C) No 11168 of 2022.

[F. No. 11031/06/2008-AIS-II(B)]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.